

भारत सरकार  
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग  
हिन्दी प्रश्न पत्र -2 (सहा.कार्य.अभि.)  
वर्ष 2018

समय : 3.00 घन्टे

पूर्णांक:100

प्रश्न-1 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखें।

- (क) संसदीय राजभाषा समिति ।
- (ख) सामान्य आदेश ।
- (ग) निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में- विवाद निपटान समिति  
(Dispute Redressal Committee)का गठन एवं कार्यप्रणाली ।

(अंक-30)

प्रश्न-2 निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी समानार्थक लिखें।

- (i) अपरिहार्य (ii) प्रत्यायोजित (iii) अनादर सूचक (vi) पदक्रम सूची
- (v) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (vi) समापन भाषण (vii) धन्यवाद प्रस्ताव (viii) कार्यार्थी विभाग
- (ix) अवमानक कार्य (x) व्यापक अनुरक्षण

(अंक-10)

प्रश्न-3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

- (i) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) से क्या अभिप्राय है?
- (ii) कार्यसूची और कार्यवृत्त में क्या अन्तर है?
- (iii) प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है?
- (iv) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के आकार का विनिर्देशन किस मंत्रालय/विभाग/संस्था द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्धारित अधिकतम आकार बताए ।
- (v) कम्प्यूटर वायरस क्या है?

(अंक-20)

प्रश्न-4 निम्नलिखित का हिन्दी अनुवाद/अर्थ लिखें।

- (i) Follow up action
- (ii) Book value
- (iii) Through over sight
- (iv) Solemn affirmation
- (v) Dead letter
- (vi) Counter reply
- (vii) Self contained note
- (viii) Qualifying service
- (ix) Attachment order
- (x) Works manual

(अंक-10)



प्रश्न-5 निम्नलिखित का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए ।

सरकारी कर्मचारी की सेवा संबंधित किसी भी मामले के शिकायत निवारण की सबसे उचित प्रणाली है, उसे अपने आसन्न या अगले उच्च अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष या ऐसे ही सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना। दावे की अस्वीकृति या निपटाने में अत्यधिक देरी होने पर उच्च प्राधिकारी को अपील या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जब तक निम्नतर स्तर के प्राधिकारियों के ध्यान में शिकायत लाने का पूरा माध्यम समाप्त नहीं हो जाता, तब तक इस मामले को उच्चतर प्राधिकारी जैसे सचिव, मंत्री या राष्ट्रपति आदि के ध्यान में नहीं लाया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भी अभ्यावेदन उचित माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए।

(अंक-10)

प्रश्न-5 निम्नलिखित का हिन्दी अनुवाद कीजिए।

The contractor shall before he commences his work on contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain in a clear and legible condition in conspicuous places on the work, notices in English and in the local Indian languages spoken by the majority of the workers giving the minimum rates of wages fixed under Minimum Wages Act, the actual wages being paid, the hours of work for which such wage are earned, wages period, dates of payments of wages and other relevant information.

- i) Where the employment of any worker is terminated by or on behalf of the contractor, the wages earned by him, shall be paid before the expiry of the second working day from the date on which his employment is terminated.
- ii) A notice showing the wages period and the place and time of disbursement of wages shall be displayed at the place of work and copy sent by the contractor to the Engineer-in-Charge under acknowledgement.

(अंक-20)

\*\*\*\*\*